दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग- 2

(विधायी एवं अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी)

बृहस्पतिवार, 4 मई, 1995/वैशाख 14, 1917(शक)

संख्या : 183

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा श्री चरती लाल गोयल द्वारा दी गई व्यवस्था - श्री मुकेश शर्मा द्वारा माननीय वित्त मंत्री के विरुद्ध दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 64 के अन्तर्गत कथित विशेषाधिकार हनन के संबंध में दी गई सूचना के सन्दर्भ में

श्री मुकेश शर्मा ने 10 अप्रैल, 1995 को दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 64 के अंतर्गत वित्त मंत्री, प्रो0 जगदीश मुखी द्वारा कथित रूप से किये गये विशेषाधिकार हनन के बारे में एक सूचना दी थी। अपनी सूचना में श्री मुकेश शर्मा ने आरोप लगाया था कि उनके द्वारा 6 अप्रैल, 1995 को सदन में नियम 259 के अंतर्गत उठाये गये विशेष उल्लेख के एक मामले के प्रत्युत्तर में जब वित्त मंत्री वक्तव्य दे रहे थे तो उन्होंने सदन को बताया था कि देसी शराब की प्रति पेटी रू0 118/- तथा कुछ पैसों की दर से ही खरीदी जा रही है । अपनी सूचना में श्री मुकेश शर्मा ने आरोप लगाया था कि अपने प्रत्युत्तर में वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि माननीय सदस्य तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर असत्य कथन कहने के आदी हो गये हैं । सदस्य ने अपनी सूचना के साथ चालान की एक प्रति संलग्न की थी तथा बाद में उन्होंने एक पारगमन स्लिप (ट्रांजिट स्लिप) भी प्रस्तुत की थी जिसमें प्रति पेटी देसी शराब का मूल्य रू0 155/- दर्शाया गया था ।

माननीय सदस्य ने आगे यह भी आरोप लगाया कि वित्त मंत्री ने यह कहते हुये कि सरकार 155 रू0 की बजाय 118/-रू0 और कुछ पैसों की दर से शराब खरीद रही है, सदस्य के विशेषाधिकार का हनन किया है और सदन की

...2/

अवमानना भी की है । श्री मुकेश शर्मा ने आगे यह भी आरोप लगाया था कि वित्त मंत्री ने उनकी सत्यनिष्ठा पर संदेह व्यक्त किया है जो विशेषाधिकार हनन का एक गम्भीर मामला है ।

मैंने इस दस्तावेज की एक प्रति वित्त मंत्री के पास उनकी टिप्पणी प्राप्त करने के लिये भेजी थी जो उन्होंने दे दी है ।

वित्त मंत्री ने अपनी टिप्पणी में अन्य बातों के साथ-साथ कहा है कि "देसी शराब की आपूर्ति के लिये किसी भी ऐसे सप्लायर को, जिन्हें एल-10 लाइसेंस दिये गये हैं दरों में संशोधन करने अर्थात् 31 मार्च, 1995 के बाद प्राप्त की गई शराब के लिये रू0 155/- की दर से भुगतान नहीं किया गया है ।"

उन्होंने यह भी कहा है "कि यद्यपि सप्लायरों ने 155/- रू0 मूल्य का दावा किया था किन्तु उनके बिलों को सम्बन्धित निगमों द्वारा लौटाया जा चुका है ।"

जहां तक श्री मुकेश शर्मा द्वारा दिये गये दस्तावेजों का संबंध है, वित्त मंत्री ने कहा है कि कथित दस्तावेजों से किसी पार्टी को रू0 155/- प्रति पेटी की दर से भुगतान किये जाने का या यहां तक कि इस दर पर सरकार द्वारा भुगतान करने के किसी करार का कोई भी प्रमाण सिद्ध नहीं होता । जो दस्तावेज दिये गये हैं उनमें मात्र सप्लायरों द्वारा दी गई दरों का उल्लेख किया गया है और सरकार द्वारा केवल चालान में दिखाई गई शराब की मात्रा के प्राप्त होने की ही पुष्टि की गई है ।

मैंने दोनों पक्षों द्वारा पेश किये गये सभी दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है । सच तो यह है कि श्री मुकेश शर्मा सरकार द्वारा प्रति पेटी रू0 155/- की दर से भुगतान किये जाने का कोई भी प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं । 10.4.1995 को आयुक्त (आबकारी) से प्राप्त और वित्त मंत्री के सचिव को सम्बोधित एक संसूचना भी रिकार्ड पर है, जो इस प्रकार है :-

"दरों के संशोधन के पश्चात् देसी शराब के सप्लायरों को शराब की आपूर्ति के लिये रू0 155/- की दर से कोई भुगतान नहीं किया गया है । तथापि, देसी शराब के सप्लायरों ने 31.3.1995 के बाद की गई शराब की आपूर्ति

...3

के लिये बिलों को पुरानी दरों पर ही प्रस्तुत किया है जिन्हें इस टिप्पणी के साथ कि उन्हें संशोधित दरों सहित अपने बिलों को जमा कराना चाहिये, उन्हें वापस कर दिया गया है ।"

एक अन्य दस्तावेज जो मुझे वित्त मंत्री से प्राप्त हुआ है वह देसी शराब के सप्लायरों को सम्बोधित दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम के पत्र की एक प्रतिलिपि है । अपने इस पत्र में दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम ने दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम की दुकानों पर । अप्रैल, 1995 की तारीख से भेजी गई देसी शराब से सम्बन्धित बिलों को संशोधित मूल्य ढांचे के अनुसार (अर्थात् । अप्रैल, 1995 से लागू प्रति पेटी रू0 118.48 की दर से) सप्लायरों को जमा कराने के लिये कहा है ।

इस मामले में सर्वाधिक प्रासंगिक जो एक अन्य दस्तावेज प्राप्त हुआ है वह तो विशेषाधिकार सूचना को पूरी तरह से ही नकार देता है और सारी बातों को एकदम आइने की तरह साफ कर देता है और यह दस्तावेज है मैसर्स कोआपरेटिव कम्पनी लि0 द्वारा 3.4.1995 से 9.4.1995, 10.4.1995 से 16.4.1995 तथा 17.4.1995 से 23.4.1995 तक जमा कराई गई तीन बिलों की प्रतिलिपियाँ । ये तीनों बिल सप्लायरों द्वारा देसी शराब की आपूर्ति के लिये प्रति पेटी रू0 188.48 की दर से ही जमा कराये गये हैं । इसमें मैसर्स कोआपरेटिव कम्पनी लि0 द्वारा मांगे गये भुगतान से सम्बन्धित चालान संख्या 1379, दिनांक 12.4.1995 और चालान संख्या 1391, दिनांक 17.4.1995 भी शामिल हैं जो अपने कथन के समर्थन में श्री मुकेश शर्मा ने चालान और ट्रांजिट स्लिप के साथ दिए हैं ।

प्रो0 जगदीश मुखी, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत सारे दस्तावेजों और श्री मुकेश शर्मा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि यह प्रमाणित नहीं होता है कि सरकार ने देसी शराब की खरीद के लिए अभी तक रू0 155/- प्रति पेटी की दर से कोई भुगतान किया है । मंत्री महोदय के इस कथन को कि देसी शराब प्रति पेटी 118 रू0 और कुछ पैसों की दर से ही खरीदी जा रही है, वह रिकार्ड पर मौजूद बिलों आदि के जरिए एवं 31.3.1995 के बाद आपूर्ति

....4

की गई शराब के बारे में मैसर्स कोआपरेटिव कम्पनी लि0 द्वारा किये गये भुगतान के दावों से पूर्णतया पुष्टि होती है ।

तदनुसार यह मेरा सुविचारित मत है कि माननीय मंत्री ने न तो सदन को गुमराह किया है और न ही उन्होंने कोई गलत बयानी की है । अतः इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि प्रो0 सुखी ने सदन की अवमानना की है अथवा सदस्यों के विशेषाधिकारों का हनन किया है । तदनुसार मैं इस सूचना को अस्वीकार्य मानते हुए दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के अन्तर्गत रद्द करता हूँ ।

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART - II

(General information relating to Assembly and other matters)

Thursday, May 4, 1995/Vaisakha 14, 1917 (Saka)

No.183

Ruling on the Notice given by Shri Mukesh Sharma for alleged Breach of Privilege by the Finance Minister under Rule 64 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Delhi Vidhan Sabha.

On 10th April, 1995, Shri Mukesh Sharma gave a notice under Rule 64 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Delhi Vidhan Sabha for the alleged breach of privilege committed by Prof. Jagdish Mukhi, Finance Minister. In his notice, Shri Mukesh Sharma alleged that the Finance Minister, while making a statement in the House on 6th April, 1995, in response to the Special Mention made by him under Rule 259, had stated that the country liquor is being purchased @ Rs. 118/- and a few paise per case. In his notice Shri Mukesh Sharma alleged that the Finance Minister has also stated in response that the Hon'ble member has become habitual of speaking untruth by distorting the facts. The member enclosed with his notice, a copy of challan and subsequently also submitted a transit slip which indicated the price per case of country liquor as Rs. 155/- per case. He further alleged that the Finance Minister has committed breach of privilege of the member and also contempt of the House by stating that the Government is buying liquor at the rate of Rs. 118/- and some paise per case instead of Rs. 155/-. Shri Mukesh Sharma further alleged that the Minister has doubted his integrity and is a serious matter of breach of privilege.

I sent a copy of this document to the Finance Minister and asked for his comments which he has furnished.

The Finance Minister, inter alia, stated that "none of the Suppliers who have been given L-10 licences have been made payment @ Rs. 155/- for the supply of country liquor received after the revision of rates i.e. 31st March, 1995". He also stated that "though the suppliers have claimed the price of Rs. 155/- but their bills have been returned by the respective Corporations". As regards documents furnished by Shri Mukesh Sharma, the Finance Minister stated that the said document does not constitute any evidence either of payment to the party @ Rs. 155/- per case or even of agreement by the Government to pay at that rate. The documents merely mentioned the rates quoted by the Suppliers and only endorsement by the Government is about the receipt of the quantity of liquor stated in the Challan."

I have cerefully gone through the plethora of documents which both the sides have furnished. It is a fact that Shri Mukesh Sharma has not been able to furnish any proof

...2/..

whatsoever of the Government having made any payment @ Rs. 155/- per case. There is a communication on record date 10-4-1995 received from the Commissioner(Excise) and addressed to Secretary to Finance Minister which states as under :-

> "No payments @ Rs. 155/- have been made to any of the suppliers of country liquor for the supplies received after the revision of rates. However, the Country liquor suppliers have submitted the bills at the old rates for the supplies made after 31.3.1995 which have been returned to them with the remarks that they should submit the bills with revised rates".

Another document that I have received from the Finance Minister is a copy of a letter from Delhi Tourism and Transportation Development Corporation dated 10.4.1995 addressed to the Suppliers of country liquor. In this letter the DTTDC has asked the Suppliers to submit the bills on account of supply of country liquor at DTTDC's vends from Ist April,1995 according to the revised price structure (i.e. Rs. 118.48 paise per case applicable w..e.f. Ist April, 1995).

Yet another document most relevant to the case- which mocks at the face of the privilege notice and makes everything crystal clear is copies of 3 bills submitted by M/s. Cooperative Company Limited for the period 3.4.1995 to 9.4.1995, 10.4.1995 to 16.4.1995 and 17.4.1995 to 23.4.1995. All the 3 bills have been submitted by the supplier for supply of country liquor at the rate of Rs. 118.48 paise per case. This also includes payments claimed by M/s Cooperative Company for the country liquor supplied vide Challan No. 1379 dated 12.4.1995 and challan No. 1391 dated 17.4.1995, the challan copies and transit notes in respect of which have been submitted by Shri Mukesh Sharma in support of his contention that country liquor is being received @ Rs. 155/- per case.

After going through the entire documents submitted by Prof. Jagdish Mukhi, Finance Minister and the documents submitted by Shri Mukesh Sharma, I have come to the conclusion that there is absolutely no evidence adduced by Shri Mukesh Sharma which can prove that payment @ Rs. 155/- per case has been made by the Government for supply of country liquor after 31.3.1995. The statement of the Minister that the country liquor is being purchased @ Rs. 118/- and some paise per case, is fully substantiated by the bills etc. placed on record and the payment claimed by M/s Cooperative Company Limited for supply of liquor after 31.3.1995.

I am accordingly of the considered view that the Hon'ble Minister has not misled the House nor made any false

statement. Accordingly, there is no question of Prof. Mukhi of having committed any contempt of the House or breach of privilege of member. Accordingly, I hold the notice as inadmissible and reject the same under Rule 66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Delhi Vidhan Sabha.

P.N. GUPTA
SECRETARY